

पत्रांक

/ का0ब0वि0प्रा0 / 2023

दिनांक

कार्यालय आदेश

मानचित्र स्वीकृति से सम्बंधित वर्तमान में प्रभावी विभिन्न शुल्कों का पुनरीक्षण किया गया है।
उक्त शुल्कों का विवरण निम्नवत है :-

शुल्क	वर्तमान में आगणित शुल्क (रूपये प्रति वर्गमी0)
विकास शुल्क	1390.00
अम्बार शुल्क	48.00
निरीक्षण शुल्क	24.00
प्लान शुल्क	9.00
1- आवासीय	
2- व्यवसायिक	38.00
3- ग्रुप हाउसिंग	19.00
4- तलपट	12054.00
• 1.00 है0 तक	
• 1.00-2.5 है0 तक	24106.00
• 2.5-5.00 है0 तक	37286.00
• 5.00 है0 से अधिक प्रत्येक 5.00 है0 अथवा अंश पर	18066.00

शमन उपविधि की क्रम सं0	मद	वर्तमान वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित दरें
1.1	100 वर्गमी0 तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु।	24.00
1.2	101-300 वर्गमी0 के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु।	37.00
1.3	301-500 वर्गमी0 के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु।	47.00
1.4	501-2000 वर्गमी0 के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु।	60.00
1.5	2000 वर्गमी0 से अधिक क्षेत्रफल/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्माण हेतु।	60.00
1.6	भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग दोनों प्रकृति के निर्माण में।	475.00
2	कमरे की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम निर्धारित ऊँचाई से कम होने पर कमरे के क्षेत्रफल पर।	228.00
5	कमरे की आन्तरिक चौड़ाई न्यूनतम निर्धारित चौड़ाई से कम होने पर कमरे के क्षेत्रफल पर।	120.00
6	कमरे का क्षेत्रफल विहित क्षेत्रफल से कम होने पर कमरे के क्षेत्रफल पर।	120.00

7	कमरे में प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था विहित क्षेत्रफल से कम होने पर कमरे के क्षेत्रफल पर।	120.00
8	कम्पाउन्ड वाल की ऊँचाई से अधिक होने पर।	120.00 या न्यूनतम 11350.00
टिप्पणी (1)	उक्त प्रकृति के निर्माण के अतिरिक्त अन्य अवैध निर्माण जो उपविधि अथवा निर्देशों के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गयी हो, (यथा-पोर्च, बालकनी, छज्जे, आदि) परन्तु शमनीय हो, पर रू0-200.00 प्रतिवर्गमी0 की दर से शमन शुल्क लिया जाएगा। व्यवसायिक हेतु इसकी दरें दोगुनी, कार्यालय हेतु 1.5 गुना, औद्योगिक हेतु 0.40 गुना, सुविधाएँ एवं अन्य उपयोगों में 0.50 गुना होगी।	475.00

उक्त दरें दिनांक 11-07-2023 से लागू की जायेगी तथा जिन प्रकरणों में माँग पत्र निर्गत किया जा चुका है, परन्तु निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं की गयी है उन प्रकरणों में भी वर्तमान दर लागू रहेगी।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

प्रतिलिपि 125

तददिनांक 13-7-23

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य नगर नियोजक को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. सक्षम प्राधिकारी प्रवर्तन को सूचनार्थ।
4. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को अनुपालनार्थ।
5. समस्त मानचित्र लिपिक को अनुपालनार्थ।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल हेतु।

सचिव